पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 की दीवानी रिट न्यायाधिकरण वाद संख्या 17892

==========

श्रीभगवान प्रसाद, पुत्र-रामदास प्रसाद, निवासी, ग्राम-पिपराहिन, पोस्ट-पकवलिया, थाना-बड़हरिया, जिला-सीवान

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, मानव संसाधन विकास, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. जिला दंडाधिकारी, सीवान
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सीवान
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीवान
5. प्रखंड विकास अधिकारी, बड़हरिया, जिला सीवान
6. प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी, बड़हरिया, सीवान
7. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पकवलिया, जिला के शिक्षा समिति के अध्यक्ष सीवान
8. मुखिया, हथिगोन ग्राम पंचायत राज, हथिगोन, थाना और प्रखंड बड़हरिया, जिला-सीवान
9. सचिव, ग्राम पंचायत राज, हथिगोन, थाना-बड़हरिया, जिला- सीवान
10. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पकवलिया, जिला-सीवान
11. शिक्षक अपीलीय न्यायाधिकरण प्राधिकार, सीवान, जिला-सीवान

..... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : सुश्री कुमारी रश्मि, अधिवक्ता

श्री सुरेश पीडी सिंह नंबर 1, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री मदनजीत सिंह-जीपी20

==========

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006---नियम 20(iii)---जिला अपीलीय प्राधिकार, सीवान को याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील का निपटारा करने का निर्देश देने के लिए रिट आवेदन जिसमें याचिकाकर्ता को "पंचायत शिक्षा मित्र" (संक्षेप में "पी.एस.एम.") के पद से हटाने को चुनौती दी गई थी---राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय की खंडपीठ और पूर्णपीठ के फैसले के मद्देनजर, जिला अपीलीय प्राधिकार, सीवान को उसकी अपील का निपटारा करने का निर्देश देने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर रिट जारी करना एक निरर्थक अभ्यास होगा क्योंकि 01.07.2006 को पी.एस.एम. के पद के उन्मूलन और नियमावली, 2006 के लागू होने के बाद, याचिकाकर्ता की सेवाओं को "पंचायत शिक्षक" के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित था।

निर्णय: चूंकि नियम, 2006 के लागू होने के बाद 01.07.2006 को पी.एस.एम. का पद समाप्त हो गया था; इसलिए कोई भी व्यक्ति पी.एस.एम./पंचायत शिक्षक के रूप में पूर्वव्यापी रूप से नियोजित, रोजगार / माने गए रोजगार का दावा नहीं कर सकता है - याचिकाकर्ता 2003 में पी.एस.एम. के रूप में शामिल हुआ और 2003 में ही पी.एस.एम. के रूप में छुट्टी पर चला गया। नियम, 2006 के लागू होने के बाद उसकी सेवा परिवर्तित नहीं

की गई। याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहा --- तदनुसार, याचिकाकर्ता को पी.एस.एम. के रूप में रोजगार / माने गए रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या उसे "पंचायत शिक्षक" के रूप में सेवा में शामिल होने का अधिकार नहीं है --- रिट खारिज। ***(पैरा 1, 4 से 6)***

*2011(4) पीएलजेआर 297 (डीबी), 2014 (2) पीएलजेआर 665 (एफबी) .....**पर भरोसा किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 13-05-2024

1. याचिकाकर्ता ने 13.03.2012 को दायर अपील का निपटारा करने के लिए जिला अपीलीय प्राधिकरण, सीवान को निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है। उन्होंने आगे अधिकारियों को याचिकाकर्ता को "पंचायत शिक्षक" के रुप में काम करने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुराध किया है।

2. याचिकाकर्ता को ज्ञापन संख्या के तहत "पंचायत शिक्षा मित्र" (संक्षेप में "पी.एस.एम.") के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 दिनांक 16.04.2003 ग्राम पंचायत - हथिगैन में। उन्होंने 15.05.2003 को सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पकवलिया में कार्यभार ग्रहण किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मानसिक अस्वस्थता के कारण याचिकाकर्ता ने विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए

अवकाश हेतु आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की थी तथा संबंधित प्रतिवादी द्वारा 25.09.2003 को छुट्टी स्वीकृत की गई थी। तत्पश्चात्, स्वस्थ होने के पश्चात जब वे विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने आए, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे व्यथित होकर उन्होंने 22.07.2008 को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन दायर कर मुखिया को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे उन्हें पी.एस.एम./पंचायत शिक्षक के रुप में कार्य करने की अनुमति दें। जब याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्होंने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 15785/2008 में इस न्याायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका निपटारा कर दिया गया। 13.02.2012 को जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत उठाने की स्वतंत्रता के साथ बंद कर दिया। उपर्युक्त स्वतंत्रता को देखते हुए, उन्होंने 13.03.2012 को जिला अपीलीय प्राधिकरण, सीवान के समक्ष अपील दायर की, जो आज तब लंबित है।

4. राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि इस अदालत की खंडपीठ और पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर जिला अपीलीय प्राधिकारी, सीवान को उसकी अपील का निपटारा करने का निर्देश देने के लिए रिट जारी करना एक निरर्थक प्रयास होगा। का पद समाप्त होने के बाद पी.एस.एम. 01.07.2006 को और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 [इसके बाद "नियम, 2006" के रूप में संदर्भित] के लागू होने के बाद, याचिकाकर्ता की सेवाओं को "पंचायत शिक्षक" के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया: और याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित था।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 2003 में पी.एस.एम. के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2003 में ही पी.एस.एम. के रूप में अवकाश पर चला गया। नियम, 2006 के लागू होने के बाद उसकी सेवाओं को परिवर्तित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से अनुपस्थित रहा। चूंकि नियम, 2006 के लागू होने के बाद 01.07.2006 को पी.एस.एम. का पद समाप्त हो गया था; इसलिए कोई भी व्यक्ति पी.एस.एम./पंचायत शिक्षक के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से नियोजित, नियोजित/मान्य नियोजित नहीं हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने श्रीमती रेणु कुमारी पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय में कहा है, जो 2011 में रिपोर्ट किया गया था(4) पीएलजेआर 297

(डीबी)। उपरोक्त खंडपीठ के निर्णय की पुष्टि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में की गई है, जिसकी रिपोर्ट 2014 में की गई थी (2) पीएलजेआर 665 (एफबी) जिसमें यह माना गया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 118 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:-

> "118. इस प्रकार गहन विचार करने के पश्चात् मेरा यह मत है कि 1.7.2006 के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, जो पूर्व में पंचायत शिक्षा मित्र के पद का आकांक्षी था, केवल इस आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता कि उसका नाम पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में था। 1.7.2006 से पंचायत शिक्षा मित्र का पद समाप्त कर दिया गया है तथा पद समाप्त होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को केवल पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में शामिल होने के आधार पर पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। श्रीमती रेणु कुमारी पाण्डेय (सुप्रा) के मामले में खण्डपीठ द्वारा लिया गया निर्णय एक अच्छा कानून है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं होगा कि किशोरी प्रसाद (सुप्रा) के मामले में खण्डपीठ द्वारा दिया गया निर्णय, उपरोक्त कारणों से, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है तथा तदनुसार, निरस्त किया जाता है।"

6. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 01.07.2006 को पी.एस.एम. के रूप में काम नहीं कर रहा था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को पी.एस.एम. के रूप में रोजगार / माने गए रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या नियम, 2006 के नियम 20 (iii) के संचालन द्वारा "पंचायत शिक्षक" के रूप में सेवा में शामिल होने का अधिकार नहीं है।

7. परिणामस्वरूप, कोई योग्यता नहीं रहने के कारण इस रिट आवेदन को खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/-एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।